संख्या-18/2026/आई/1199290/23-1-26/007-23-1002(002)/216/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 08 जनवरी, 2026**

विषय- सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाइन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में कार्य पर भारित करके आई0ओ0सी0एल0 में जमा धनराशि को वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष भुगतान हेतु राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाइन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप कार्यों पर भारित कर बिटुमिन क्रय हेतु किये गये भुगतान के समायोजन हेतु आई0ओ0सी0एल0 से वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष **विभिन्न जनपदों के स्वीकृत 25 मार्गों हेतु कुल रू0 2,22,80,000/- (रूपये दो करोड़ बाइस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2442सी/02सी-3054-आईओसीएल बरेली/कानपुर/25-26,	नि.ख.-2 बदायूं	बजीरगंज उसैता मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	358 /2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2 दिनांक 17.12.2021	91.56	BG00063 16-02-2023	9.16	9.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	दिनांक 22.12.2025							
2	2442सी/02सी-3054-आईओसीएल बरेली/कानपुर/25-26, दिनांक 22.12.2025	नि.ख.-2 बदायूं	दातागंज तिराहा से कचहरी लालपुल मार्ग के किमी0-03 में विशेष मरम्मत का कार्य	97 /2021/407 रासनि/23-1-21-50 रासनि/20 दिनांक 17.03.2021	51.24	BG00063 16-02-2023	21.63	21.63
3	2442सी/02सी-3054-आईओसीएल बरेली/कानपुर/25-26, दिनांक 22.12.2025	नि.ख.-2 बदायूं	फरीदपुर सदी से कण्डेला सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	97 /2021/407 रासनि/23-1-21-50 रासनि/20 दिनांक 17.03.2021	42.50	BG00063 16-02-2023	3.68	3.68
4	2442सी/02सी-3054-आईओसीएल बरेली/कानपुर/25-26, दिनांक 22.12.2025	नि.ख.-2 बदायूं	बजीरगंज उसैता मार्ग पर मरम्मत का कार्य	97 /2021/407 रासनि/23-1-21-50 रासनि/20 दिनांक 17.03.2021	155.84	BG00063 16-02-2023	22.60	22.60
5	2442सी/02सी-3054-आईओसीएल बरेली/कानपुर/25-26, दिनांक 22.12.2025	नि.ख.-2 बदायूं	गेरूईया से हरनाथपुर सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	358 /2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2 दिनांक 17.12.2021	47.21	BG00063 16-02-2023	4.72	4.72
6	2442सी/02सी-3054-आईओसीएल	नि.ख.-2 बदायूं	बरामय खेड़ा से उझानी मिहोना रिसौली मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	39 /2022 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2	147.62	BG00063 16-02-2023	14.76	14.76

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बरेली/कानपुर/25-26, दिनांक 22.12.2025			दिनांक 07.01.2022				
7	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	नि.ख.-1 बहराइच	एन0एस0एल0 मार्ग से भल्लरपुरवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दि 07.01.2022	47.34	DO00040 24-04-2023	2.80	2.80
8	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	नि.ख.-1 बहराइच	फखरपुर कुण्डासपारा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 से 5(300) में विशेष मरम्मत का कार्य।	225 /2021 /918 रासनि /23-1-21-44 रासनि/20 टीसी दि 20.10.2021	73.47	DO00040 24-04-2023	8.00	8.00
9	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	नि.ख.-1 बहराइच	देवलखा सम्पर्क मार्ग के किमी 1,2 व 3(300) में विशेष मरम्मत का कार्य।	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दि 07.01.2022	47.81	DO00040 24-04-2023	2.28	2.28
10	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	नि.ख.-1 बहराइच	फखरपुर बाजार से फखरपुर कस्बा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1(500) में विशेष मरम्मत का कार्य।	225 /2021 /918 रासनि /23-1-21-44 रासनि/20 टीसी दि 20.10.2021	45.38	DO00040 24-04-2023	2.00	2.00
11	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक	नि.ख.-1 बहराइच	लालपुर ऐमा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	358 /2021 /1186 रासनि /23-1-21-10 रासनि/20 टीसी-2 दि 17.12.2021	55.12	DO00040 24-04-2023	2.00	2.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22.12.2025							
12	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	नि.ख.-1 बहराइच	मिरचिया मलावॉ सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	48.37	DO00040 24-04-2023	2.40	2.40
13	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	नि.ख.-1 बहराइच	पंडितपुरवा (ससना) सम्पर्क मार्ग के किमी-1 से 3(800) में विशेष मरम्मत का कार्य।	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	42.14	DO00040 24-04-2023	2.21	2.21
14	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	प्रा.ख. श्रावस्ती	हरवंशपुर चैराहे से देवरा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	140.02	18570008 17-10-2023	14.00	14.00
15	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	प्रा.ख. श्रावस्ती	पाण्डेयपुर इकौना मार्ग के किमी-12 से धरमपुर सम्पर्क मार्ग के किमी-1,2,3 व 4 में विशेष मरम्मत का कार्य	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	60.29	18570008 17-10-2023	6.03	6.03
16	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	प्रा.ख. श्रावस्ती	चन्दखा सम्पर्क मार्ग के किमी-1,2,3 व 4(650) में विशेष मरम्मत का कार्य	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	59.46	18570008 17-10-2023	5.95	5.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	प्रा.ख. श्रावस्ती	पी0बी0बी0 से रमवापुर महादेईया सम्पर्क मार्ग के किमी-1,2,3 व 4(500) में विशेष मरम्मत का कार्य	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	54.67	18570008 17-10-2023	5.47	5.47
18	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	प्रा.ख. श्रावस्ती	दामू पुरवा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	64.14	18570008 17-10-2023	3.67	3.67
19	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	प्रा.ख. श्रावस्ती	इकौना खरगूपुर मार्ग के किमी-6,7,8 व 11 में विशेष मरम्मत का कार्य	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	57.94	18570008 17-10-2023	5.79	5.79
20	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	प्रा.ख. श्रावस्ती	इकौना से इटौआ सम्पर्क मार्ग के किमी-1 व 2 में विशेष मरम्मत का कार्य	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	46.73	18570008 17-10-2023	4.67	4.67
21	2443सी/ आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	प्रा.ख. श्रावस्ती	धर्मपुर नाला से मुजेहनिया कौवापुरवा से श्रीमती चमेली बुद्ध इण्टर कालेज होते हुए बनियनपुरवा तक सम्पर्क मार्ग के किमी-1,2,3,4 व 5(700) में विशेष मरम्मत का कार्य	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	73.64	18570008 17-10-2023	7.36	7.36
22	2443सी/ आई ओसीएल	प्रा.ख. श्रावस्ती	ककरदरी अब्दुल्लागंज मार्ग से परसोहना सम्पर्क मार्ग के किमी0-2(200) में	97 /2021/407 रासनि/23-1-21-50 रासनि/20	44.61	18570008 17-10-2023	11.56	11.56

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025		सी.सी. रोड का निर्माण एवं किमी0-1,2(800), 3,4(300) में विशेष मरम्मत का कार्य	दिनांक 17.03.2021				
23	2443सी/आई ओसीएल गोण्डा क्षे0/25-26, दिनांक 22.12.2025	प्रा.ख. शाहजहांपुर	एन0एच0-24 मार्ग से दिलावरगंज मार्ग के किमी 2 में क्षतिग्रस्त नहर वाली आर्च कल्वर्ट के स्थान पर 2 गुणे 5.00 मी0 आर.सी.सी. कल्वर्ट के पुनः निर्माण का कार्य।	78 /2021 /457 रासनि /23-1-21-50 रासनि/20 दिनांक 05.03.2021	49.00	CN00 103 23-03-2023	35.70	35.70
24	2498सी/02सी/3054 /आईओसीएल/प्रयागराज/25-26, दिनांक 29.12.2025	प्रा0खं0 प्रतापगढ़	नारंगपुर रामपुर बेला महदहा सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/सुधार का कार्य।	110/2020/791रासनि/23-1-20-72रासनि/20, दिनांक 27.08.2020	53.33	14310003, 02.06.2025	23.76	23.76
25	2498सी/02सी/3054 /आईओसीएल/प्रयागराज/25-26, दिनांक 29.12.2025	प्रा0खं0 प्रतापगढ़	रखहा से सराय गनी सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	46/2020-554रासनि/23-1-20-40रासनि/20, दिनांक 27.02.2020	62.16	14310001, 02.06.2025	0.60	0.60
							कुल योग-	**222.80**

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) तेल कम्पनियों से केवल वही धनराशियॉ वापस लेकर राजकोष में सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर दी जायेंगे, जिनका भुगतान 01.04.2022 से पूर्व किया गया है।

(9) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऑयल कम्पनियों से वापस ली गयी धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों पर किया जाए, जिन कार्यों पर प्रथमत: उसे भारित कर भुगतान किया गया है। किसी भी दशा में मूल कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर इसका व्यवर्तन नहीं किया जा सकता है। कार्य पूर्ण होने पर यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है, तो उसे नियमानुसार कार्य के सुसंगत प्राप्ति मद में शासन के पक्ष में कोषागार में जमा कर दी जाय।

(10) प्रश्नगत धनावंटन संबंधी आदेश की प्रति, कार्यवृत्त विषयक पत्र संख्या-आई/952140/2025, दिनांक 02.05.2025 एवं पत्र संख्या-आई/962076/2025, दिनांक 14.05.2025 की प्रति सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद) को प्रेषित की जाये। महालेखाकार को प्रेषित मासिक लेखों के साथ विभाग द्वारा आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त कर राजकोष में जमा धनराशि के चालान की प्रतियां भी अवश्य प्रेषित की जायें।

(11) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 25.04.2025 के कार्यवृत्त दिनांक 02.05.2025 एवं 14.05.2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में दिये गये निर्देशों तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने व्यय **रू0 2,22,80,000/- (रूपये दो करोड़ बाइस लाख अस्सी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या**-6/**2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-18/2026/आई/1199290(1)/23-1-26/007-23-1002(002)/216/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in